

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-34 पटना, दिनांक- 28/3/26

'कार्यालय आदेश'

आवास आवंटन समिति द्वारा आवास की आपसी अदला-बदली हेतु प्राप्त आवेदनों पर लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को आवंटित आवास निम्नरूपेण परिवर्तित किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदनाम	विभाग	पूर्व से आवंटित आवास	नव आवंटित (परिवर्तित) आवास
1	i. श्री विनित कुमार वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी	परिवहन विभाग	C5/502, गर्दनीबाग	C3/502, गर्दनीबाग
	ii. श्री शशिकान्त प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी	गृह (विशेष शाखा) विभाग	C3/502, गर्दनीबाग	C5/502, गर्दनीबाग
2	i. श्री पंकज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	स्वास्थ्य विभाग	700/800 शास्त्रीनगर	C3/606, गर्दनीबाग
	ii. श्री नीलम संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	पथ निर्माण विभाग	C3/606, गर्दनीबाग	700/800 शास्त्रीनगर
3	i. श्री रवनीश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	मुख्यमंत्री सचिवालय	C3/1004, गर्दनीबाग	C2/504, गर्दनीबाग
	ii. श्री कुमार लाल, प्रशाखा पदाधिकारी	खान एवं भूतत्व विभाग	C2/504, गर्दनीबाग	C3/1004, गर्दनीबाग
4	i. श्री रविन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	वित्त विभाग	C4/1003, गर्दनीबाग	C3/501, गर्दनीबाग
	ii. श्री रमेश कुमार राय, प्रशाखा पदाधिकारी	गृह विभाग	C3/501, गर्दनीबाग	C4/1003, गर्दनीबाग
5	i. श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी	पंचायती राज विभाग	C1/503, गर्दनीबाग	C1/402, गर्दनीबाग
	ii. श्री चंदन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	पंचायती राज विभाग	C1/402, गर्दनीबाग	C1/503, गर्दनीबाग
6	i. श्री मनोज साहु, प्रशाखा पदाधिकारी	गृह विभाग	C4/203, गर्दनीबाग	C3/101, गर्दनीबाग
	ii. श्री रवि रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	वित्त विभाग	C3/101, गर्दनीबाग	C4/203, गर्दनीबाग
7	i. श्री अजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी	पथ निर्माण विभाग	C2/902, गर्दनीबाग	C3/203, गर्दनीबाग
	ii. श्री अरविन्द कुमार अरुण, प्रशाखा पदाधिकारी	पथ निर्माण विभाग	C3/203, गर्दनीबाग	C2/902, गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी कर्मी आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा
- आवंटी पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
6. विभागीय आदेश सं०-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	सी-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

7. आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार यदि कोई पदाधिकारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
8. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026- 2781(अ)पटना, दिनांक:- 20/3/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/पटना पश्चिम भवन प्रमंडल दानापुर, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।